हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 2 जून, 2011

संख्या का०आ० 48/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2011.—हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या वैब 2/ह०अ० 6/2003/धा० 59/2011, दिनांक 25 अप्रैल, 2011 के प्रति निर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त अधिनियम से संलग्न अनुसूची क तथा ख में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाण मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6) में,—

(I) अनुसूची क में,खाना 1, 2 तथा 3 के नीचे, क्रम संख्या 9 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी और अप्रैल, 2011 के प्रथम दिन से प्रतिस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—

1	2	3
"10	जब राज्य में सभी प्रकार की मदिरा, प्रथम बार बेची गई अर्थात् देशी मदिरा के मामले में, आसवनियों द्वारा तथा भारत में बनी विदेशी स्पिरिट के मामले में अनु० 1-ख तथा अनु०-1क ख, तथा बीयर तथा शराब इत्यादि के मामले में अनु०-1 ख-1 तथा अनु०-1कख-1, आर०टी०बी० (पीने के लिए तैयार पेय के लिए) अनु०-1 ख1-क, तथा आयतित विदेशी मदिरा (बोतल के रूप में) अनु०-1 ख च द्वारा बेची गई के सिवाए ।	4 प्रतिशत अधिभार सहित, यदि कोई हो।";

(II) अनुसूची ख में, खाना 1 और 2 के नीचे, क्रम संख्या 31क तथा उसके सामने प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

1	2
"31ख	(i) अनुसूची ग में क्रम संख्या 4 क और अनुसूची क में क्रम संख्या 5 में दी गई प्रविष्टियों के अतिरिक्त भारत में बनी विदेशी मदिरा और देसी मदिरा (जिस पर राज्य आबकारी शुल्क भुगतान किया गया हो) प्रथम अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक प्रभावी होगी ; (ii) अनुसूची क में क्रम संख्या 5 और 10 में दी गई प्रविष्टियों के अतिरिक्त भारत में बनी विदेशी मदिरा और देसी मदिरा (जिस पर राज्य आबकारी शुल्क भुगतान किया गया हो) प्रथम अप्रैल, 2010 से प्रभावी होगी।"।

रमेन्द्र जाखू,
वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।